

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलेक्टर (SDO) मुकाम.....
बायतु

..... देवाराद बनाम मोनाराद वगैरे

किस्म मुकदमा..... 112/17/17 नं..... 270 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/11/2017	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुमारी चोपड़ा ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 13/12/2017 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	
13/12/17	प्रार्थी वकील उपलब्ध। विप्रार्थी/वादी के नोटिस तामील खुदा प्राप्त, विप्रार्थी संपन्न। ले 8 वी फॉर ले वकील नर देवाराद जायस द्वारा वडावातनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। भीमान चौधरीन अधिकारी मकदशा में पधारे हुए है कतः मिशाल इफ्तवा द्वारा सागामी दिनांक 17/12/17 को पेश की जायेगी	

17/01/18

— प्राचीन विपक्षी संघना 1 से 8 के बहील उपना,
 विपक्षी संघना 9 से 14 काकजुड तामिल कडुउपनिगत।
 विपक्षी संघना 1 से 8 के अधिवक्ता जबाब करिना
 पेश करना चाहते हैं। अवसर दिया जाइए पभावली
 करिना दिनांक 12/02/18 के पेश हो।

12/02/18

वकुलाय करीबने उपस्थित। विपक्षीगण संघना
 1 से 8 के अधिवक्ता जबाब पेश नहीं कला
 चाहते हैं। विपक्षीगण संघना 1 से 8 के अधिवक्ता
 का जबाब वानु किया जाता है दोनों पक्षों के
 अधिवक्ता की नेपथमवली कावेदन पर कइस
 सुनी गई। प्राचीन के अधिवक्ता ने कलाया की प्राचीन
 की अपने स्वातंत्री घेतो के चारों ओर पन्डे नेपथम
 स्थापित करवाना कावश्यक है इसलिए प्राचीन का
 नेपथमवली कावेदन स्वीकार किया जाइए नेपथमवली
 कौदा किया जावे।

कतः प्राचीन का नेपथमवली कावेदन
 स्वीकार किया जाइए तदनुसार काकजुड के इतिहास
 नियुक्त किया जाता है व कावेदा दिया जाता है कि
 काय स्वयं सा अपने अधिनस्थ किसी भी सू. अधि-
 लेख निरिस्तु से प्राचीन के स्वातंत्री घेतो का प्राचीन
 नेपथमवली मोडे पर कुरुकु जमाइराइए इतें पालन रिपोर्ट
 प्राप्त होने पर तामिल पभावली हो पभावली केसल
 कुमा हो इज नामर से उम हो तामिल इस्तत हो।

तहसिलदार (SDO)
 काकजुड